निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 163/2020 तारीख दायरा 06.08.2020

उनवान

1. मनीष उर्फ मनोज कुमार पुत्र श्री गिरिराज जाति नाई निवासी सांगोद तह0सांगोद जिला कोटा।
2. राजकुमार उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री गिरिराज जाति नाई निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादीगण—

—बनाम—

1. उमाबाई पुत्री श्री गिरिराज जाति नाई निवासी ग्राम सांगोद जिला कोटा,
2. ममताबाई पुत्री श्री गिरिराज जाति नाई निवासी ग्राम सांगोद जिला कोटा,
3. लक्ष्मीबाई बेवा श्री गिरिराज जाति नाई निवासी ग्राम सांगोद जिला कोटा,
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। —प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—
1. श्री दिनेश कुमार गौतम एडवोकेट, नरेश कुमार गौतम एडवोकेट(वकील वादी)
2. श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 3)
3. पैरोकार सरकार

——:: निर्णय ::—— दिनॉक :— 01.12.2020

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 3 [illegible] की खसरा नंबर 114 रकबा 0.81 हैक्टर आराजी वाके ग्राम टोंक तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादी क्रं. 1 का वास्तविक नाम "मनीष" है किन्तु वादी [illegible] कुमार" भी है तथा वादी क्रं. 2 का वास्तविक नाम "राजकुमार" है किन्तु वादी क्रं. 2 का घरेलू नाम "राजेन्द्र कुमार" भी है। इस प्रकार से वादी क्रं. 1 को 'मनीष' व 'मनोज कुमार' दोनों ही नामों से जाना जाता है तथा इसी प्रकार से वादी क्रं. 2 को "राजकुमार" व "राजेन्द्र कुमार" दोनों ही नामों से जाना जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

आधारकार्ड, राशनकार्ड, इत्यादि राजकीय दस्तावेजों में वादी कं. 1 का नाम 'मनीष' अंकित है तथा वादी कं. 2 का नाम 'राजकुमार' अंकित है। राजस्व रिकार्ड में अंकित वादीगण के नाम एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में अंकित वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण वादीगण को राज्य सरकार से मुआवजा राशि प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादीगण दिनांक 0607.2020 को अपने खाते एवं कब्जेकाश्त की उपरोक्त आराजी पर कृषिऋण प्राप्त करने के लिए स्टेट बैंक सांगोद गया तो वहां के अधिकारियों ने राजस्व रिकार्ड व आधार कार्ड में समान नाम नहीं होने के कारण बैंकऋण स्वीकृत करने में असमर्थता व्यक्त की व राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करवाने के बाद ही ऋण स्वीकृत करने की राय दी। राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि राजस्व रिकार्ड में उक्त दुरूस्ती नहीं की गई तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार को भूमिधारी होने से जरिये तहसीलदार सांगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। वादकारण दिनांक 06.07.2020 को स्टेट बैंक सांगोद के बैंक अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाये बिना वादी को बैंक ऋण स्वीकृत नहीं करने की बात कहने पर उत्पन्न हुआ। अतः माल ग्राम टोंक तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 114 रकबा 0.81 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी कं. 1 का नाम "मनीष" एवं वादी कं. 2 का नाम "राजकुमार" अंकित किया जावें।

वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 द्वारा जवाबदावा इकबाली प्रस्तुत कर दावा वादी डिकी करने में सहमति व्यक्त की तथा राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार सांगोद द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का नाम दुरूस्त करने में सहमति व्यक्त की तथा प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं होना व्यक्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम अवलोकल करने के उपरान्त दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ।

अतः दावा वादी स्वीकार [illegible] हैं कि माल ग्राम टोंक तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 114 रकबा 0.81 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी कं. 1 के घरेलू नाम मनोज कुमार के स्थान पर "मनीष" एवं वादी कं. 2 के घरेलू नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर "राजकुमार" अंकित किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तदनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:06 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)
निर्णय बईजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा।

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 163/2020 तारीख दायरा 06.08.2020

उनवान

1. मनीष उर्फ मनोज कुमार पुत्र श्री गिरिराज जाति नाई निवासी सांगोद तह0सांगोद जिला कोटा,
2. राजकुमार उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री गिरिराज जाति नाई निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादीगण—

—बनाम—

1. उमाबाई पुत्री श्री गिरिराज जाति नाई निवासी ग्राम सांगोद जिला कोटा,
2. ममताबाई पुत्री श्री गिरिराज जाति नाई निवासी ग्राम सांगोद जिला कोटा,
3. लक्ष्मीबाई बेवा श्री गिरिराज जाति नाई निवासी ग्राम सांगोद जिला कोटा,
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—

5. श्री दिनेश कुमार गौतम एडवोकेट, नरेश कुमार गौतम एडवोकेट(वकील वादी)
6. श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3)
7. पैरोकार सरकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:06 IST
Reason: SelfAttested

दिनॉक :— 01.12.2020

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री दिनेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम टोंक तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 114 रकबा 0.81 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी कं. 1 के घरेलू नाम मनोज कुमार के स्थान पर "मनीष" एवं वादी कं. 2 के घरेलू नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर "राजकुमार" अंकित किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

आज दिनांक 01.12.2020 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:06 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद